

27-9-22

पत्रावली के अधिनियम 348/ 451(2) का
द्वारा 18-10-22 को पेश हो

10/11/22

पत्रावली पेश हुई पत्रावली के अधिनियम
अधिनियम पी.ओ. साहस जीरे व भवकार
पर है। पत्रावली आईन्दा कार्यवाही हेतु
उनाक. 17/11/22 का पेश हो

17/11/22

पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपर। वकील वादी
द्वारा प्रार्थना पत्र पेशा कर निवेदन किया की वादीगा
वाद को आज चलाना नहीं चाहते हैं अतः विद्वां
की अनुमति दी जावे। प्रार्थना पत्र पर वकील वादी
को बुला जाकर वाद विद्वां करने की अनुमति दी
जाती है। वादीगा अधिवक्ता संलग्न वाद पत्र हेतु
लौकिक है। वादीगा का वाद दलील पर दलील
किया जाता है पत्रावली नष्ट हो कर हेतु
कार्यवाही करता है।

उपस्थित अधिवक्ता
विभाग